

REGISTERED

**CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE  
AVIKANAGAR THE.MALPURA DISTT. TONK(RAJASTHAN 304501**

No.4(4)CS/2012-13/

Dated : 26.05.2014

(1)The Advertisement Manager,  
Dainik Bhaskar,  
10, Near Vidya Ashram School,  
Jawahar Lal Nehru Marg,  
Malviya Nagar, Jaipur-302017 (Raj.).

(2) The Advertisement Manager,  
The Rajasthan Patrika Pvt. Ltd.,  
Kesargarh, J.L.N. Marg,  
Jaipur-302001(Raj.)

Subject : Publication of Auction Notice.

Dear Sir,

I am directed to request you to please arrange insertion of the enclosed AUCTION NOTICE in your esteemed newspaper as per instructions given below:-

- Dated of Insertion : As early as possible
- Edition : In Hindi edition of **Rajasthan state level.**
- Space : Minimum as possible
- Position : AUCTION NOTICE

1. Scheduled date should be adhered to strictly.
2. Matter should be typed solid in the smallest type available with you so as to ensure that the space used in irreducible minimum.
3. **One copy of the newspaper should be sent immediately after insertion of the auction notice.** Insertion will be rejected for bad print, errors omission or other defects.
4. **Bill duly Pre-receipted (stamped) in triplicate in the name of the Director, CSWRI, Avikanagar be sent for arranging payment.** Voucher copy of the newspaper should be enclosed with the bill.
5. Certificate to the effect that the rates charged in the bill are in accordance with the rates approved by D.A.V.P., New Delhi, should be recorded on the bill. A copy of the rates approved by DAVP, New Delhi be enclosed with the bill.
6. If you cannot insert the matter with in the specified time due to one or other reason, it may be informed to this Institute immediately for four information.

Yours faithfully,

( J.L. Meena)

Asstt. Administrative Officer

Encl: As above

Copy to:-

1. Administration II Section
2. Audit & Accounts Section
3. Advertisement File
4. I/c A.K.M.U. for downloading the auction notice in institute's website.
5. Notice Board, Gram Panchat , Chandsen
6. I/c T.O.T. & S.S.(3 copies) for wide publicity in TOT area.
7. Notice Board, Nagar Palika, Malpura
8. Notice Board, Adm, Physiology, Canteen, Co-Operative Store, Library Bldg., etc.

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान  
अविकानगर त0 मालपुरा जि0 टोंक (राज0)

क्रमांक: 4(2)सीएस/2014/

दिनांक: 26.05.2014

**नीलामी सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान द्वारा एक डीजल जीप एवं दो अम्बेसडर कार पेट्रोल (अनुपयोगी) की नीलामी दिनांक **05.06.2014** को संस्थान में स्थित केन्द्रीय भण्डार पर खुली बोली द्वारा की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म बोली लगाने से पहले संस्थान के पास अपना फोटो युक्त पहचान पत्र एवं बतौर अमानत राशि के रूप में रुपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार मात्र) नकद जमा करा के नीलामी में भाग ले सकेंगे। बिना अमानत राशि जमा कराये बोली में भाग नहीं ले सकेंगे। जिस व्यक्ति/फर्म की बोली अधिक होगी उस व्यक्ति/फर्म के नाम से बोली छोड़ी जायेगी। बोली छूटने के बाद यदि बोलीदाता को किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो उस पर संस्थान द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिस व्यक्ति/फर्म के नाम बोली छूटेगी, उस व्यक्ति/फर्म को कुल बोली की राशि की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त संस्थान को नकद जमा करानी होगी तथा शेष राशि 07 दिनों के अन्दर-अन्दर जमा कराकर उक्त वाहन को संस्थान से उठाकर ले जाना होगा। ऐसा न करने पर अमानत राशि/25 प्रतिशत राशि जब्त करली जायेगी। जिसकी जिम्मेवारी स्वयं बोली दाता की होगी। बोली की अन्य नियम/शर्तें बोली लगाने से पूर्व सूचित कर दी जावेगी। अगर उपरोक्त पर बिक्रीकर/वेट/सरचार्ज इत्यादि लगता है तो वह बोलीदाता को अलग से नियमानुसार वहन करना होगा। नीलामी सूचना इस संस्थान की वेबसाइट [www.cswri.res.in](http://www.cswri.res.in) पर भी देखी जा सकती है।

संस्थान को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

निदेशक

## नीलामी की नियम एवं शर्तें

- 1— इच्छुक व्यक्ति/फर्म बोली लगाने से पहले संस्थान के पास अपना फोटो पहचान पत्र एवं बतौर अमानत राशि के रूप में **रूपये 20,000/-** (अक्षरे बीस हजार मात्र) नकद जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकेंगे। बिना अमानत राशि जमा कराये बोली में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 2— अमानत राशि नीलामी की तिथि दिनांक 05.06.2014 को नीलामी से पूर्व प्रातः 10:00 बजे से 11:30 बजे तक ही जमा की जावेगी। इसके बाद अमानत राशि जमा नहीं की जावेगी।
- 3— नीलामी में बोलीदाता को बोली 500 रुपये के गुणांक में ही बोली बोलनी होगी। जिस व्यक्ति/फर्म की बोली अधिक होगी उसी व्यक्ति/फर्म के नाम से बोली छोड़ी जायेगी।
- 4— बोली छुटने के बाद यदि बोलीदाता को किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो उस पर संस्थान द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 5— जिस व्यक्ति/फर्म के बोली छुटेगी, उस व्यक्ति/फर्म को कुल बोली की राशि का 25 प्रतिशत राशि तुरन्त संस्थान को नकद जमा करानी होगी तथा शेष राशि 07 दिनों के अन्दर-अन्दर जमा कराकर वाहन को संस्थान से उठाकर ले जाना होगा। ऐसा न करने पर अमानत राशि/25 प्रतिशत राशि जब्त करली जायेगी। जिसकी जिम्मेवारी स्वयं बोली दाता की होगी।
- 6— नीलाम किये जाने वाले सामान की सरकारी कीमत आरक्षित है। निर्धारित कीमत से कम कीमत में बेचना संभव नहीं होगा। कृपया आरक्षित सरकारी कीमत से उच्चतम बोली ही स्वीकार की जावेगी।
- 7— उपरोक्त पर बिक्रीकर/वेट/सरचार्ज इत्यादि लगता है तो वह बोलीदाता को अलग से नियमानुसार वहन करना होगा।
- 8— एक लोट जिस किसी बोलीदाता के छुटता है, उस लोट की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने के उपरान्त ही वह बोलीदाता दूसरे लोट के लिए बोली लगा सकेगा।
- 9— संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार पूर्ण-रूप से सुरक्षित है।